

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुरेशचन्द्र पिता बाबूलाल हरिजन निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन वगैरा
बनाम

अंकुश पिता भैरूलाल हरिजन निवासी नई हरिजन बस्ती सिंहपुर, तह. कपासन
वगैरा

प्रकरण संख्या 90/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकारगण अनुपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार उपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी निगराकारगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकारगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	